

<p>आदेश की क्र० सं० एवं तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ</p>								
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>								
<p align="center"> <u>न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला</u> <u>सुषमा नीलम सोरेंग</u> एस०ए०आर० वाद सं० - 08/2014-15 </p> <p> गणेश उराँव.....अपीलार्थी बनाम किशोर गोप.....प्रतिवादी </p> <p align="center">आदेश</p> <p> प्रस्तुत वाद गणेश उराँव, पिता - स्व० चुर्युँ उराँव, ग्राम - करमटोली, थाना - गुमला, जिला - गुमला द्वारा निम्नांकित विवरण की भूमि की वापसी हेतु आवेदन दिया गया है। </p> <p align="center">जमीन का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="267 1097 1429 1232"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>फसिया</td> <td>85</td> <td>458</td> <td>0.08 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p> अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक लम्बे समय तक अनुपस्थित हैं तथा कोई पैरवी नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में उभय पक्षों को कोई अभिरुची नहीं रह गया है। </p> <p> अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष में इस वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। </p> <p align="center">लेखापित</p> <p> भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला। </p> <p> भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला। </p>			ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	फसिया	85	458	0.08 एकड़
ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा							
फसिया	85	458	0.08 एकड़							